



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27078

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 16446/2024

काली राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: सुनील कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. आज दाखिल किया गया प्रति-शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार मिश्रा और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 22.06.1994 को लेखपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और 29.03.1996 को उन्हें नियमित कर दिया गया था। 03.08.2013 को रिट याचिकाकर्ता का वेतन 2400/- रुपये के ग्रेड पे पर निर्धारित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उन्हें 2800/- रुपये का ग्रेड पे प्रदान किया गया था, हालांकि, 06.09.2024 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा इसे घटाकर 2400/- रुपये का ग्रेड पे कर दिया गया है।
4. इसी को चुनौती देते हुए रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।
5. इस न्यायालय ने 18.12.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए रिट याचिका पर विचार किया था:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना। 2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 22.06.1994 को लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि 01.07.2010 से 2800/- रुपये का ग्रेड पे निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता उसी ग्रेड पे के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे थे। आगे यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.09.2024 के माध्यम से याचिकाकर्ता का ग्रेड पे घटाकर 2400/- रुपये कर दिया गया है। आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता से अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने की बात भी कही गई है। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह: 2015 (4) एससीसी 334 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 12(iii) के आलोक में, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से तब कोई वसूली नहीं की जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकती जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो। इसलिए, आक्षेपित आदेश दिनांक 06.09.2024 दोषपूर्ण है और रद्द किए जाने योग्य है। 3. मामला विचारणीय है। 4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता समय मांगते हैं और उन्हें प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रत्युत्तर-शपथ पत्र, यदि कोई हो, उसके एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है। 5. इस मामले को 13.02.2025 को सूचीबद्ध करें। 6. इस आदेश के अगले आदेश तक, आक्षेपित वसूली आदेश दिनांक 06.09.2024 स्थगित रहेगा।”

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि यह रिट याचिकाकर्ता की पीठ पीछे किया गया एकतरफा निर्णय है और रिट याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई थी। रिट याचिकाकर्ता मार्च, 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
7. श्री बी.के. श्रीवास्तव का तर्क है कि यद्यपि वेतन निर्धारण के दौरान कोई त्रुटि रह जाती है तो नियोक्ता के लिए उसे बदलने और सुधारने का विकल्प हमेशा खुला रहता है, बशर्ते कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना देने के पश्चात ऐसा किया जाए। उनका तर्क है कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी या नहीं। हालांकि, उनका सुझाव है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया जाए।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
9. तथ्य विवाद में नहीं हैं। प्रत्यक्षतः, शिकायत यह है कि वेतन कम करते समय प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया एकतरफा कार्रवाई है।
10. न्यायालय की राय में, कोई भी कार्रवाई जो एकपक्षीय रूप से की जाती है और जो अहितकारी हो, उसे कायम नहीं रखा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 एससीसी 154 में निम्नानुसार अवलोकन किया था:

“3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में 18.12.1970 से भूतलक्षी प्रभाव से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है लेकिन उसे अपने मूल वेतन की कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पहले उसे सूचना तक नहीं दी गई थी और आदेश कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे दिया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय हानि सहनी पड़ी है। कार्रवाई में निष्पक्षता यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी आदेश जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को नागरिक परिणाम भुगतने के रूप में हो, संबंधित व्यक्ति को सूचना दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का आदेश

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(मेमोरेण्डम), जिसे अधिकरण के समक्ष आक्षेपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में त्रुटि की। अधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ अधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश (मेमोरेण्डम) दिनांक 25.7.1991 को रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

11. चूंकि आक्षेपित आदेश से यह प्रकट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी, अतः इस न्यायालय के पास आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
12. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित रीति से निर्णीत की जा रही है:

(क) प्रत्यर्थी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 को रद्द किया जाता है।

(ख) आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर प्राधिकारी को नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाता है।

13. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”